तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/10/25	वकुलाप उपस्थित / बहस हेतु अवसर चाहा / मिसल वास्ते बहस दिनांक 11.11.25 को पेश हो।	
11.11.25	वकुलाप उपस्थित / बहस उभयपक्ष सुनी गई / मिसल वास्ते आदेश दिनांक 18.11.25 को पेश हो।	
18.11.25	वकुलाप उपस्थित / पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट है कि प्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने से भूमि गैर खातेदारी से सिवायचक किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 15(5) भिजवाया गया है जबकि वकील अप्रार्थी की आपत्ति है कि अप्रार्थी के पिता होगा वल्द नन्दा को उपनिवेशन (चम्बल परियोजना) विभाग द्वारा भूमि का आवंटन किया गया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत नियम 15(5) पेश किया गया प्रार्थनापत्र नियमान्तर्गत नहीं होने से खारिज किया जावे। न्यायालय द्वारा आवंटन पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर प्रकट हुआ कि संचालक उपनिवेशन, चम्बल (सिंचाई) योजना, कोटा द्वारा होगा पु. नन्दा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाति मीणा को ग्राम रामपुरिया में भूमि का कीमतन आवंटन किया गया है। राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय संबंधी) नियम, 1957 के तहत किये गये भूमि आवंटन को धारा 22 के तहत आवंटन आथोरिटी द्वारा निरस्त किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में पेश किया गया हस्तगत प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी आवंटन के विरुद्ध नियमान्तर्गत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही पेश किये जाने हेतु स्वतन्त्र है। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली वापस लौटाई जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवावें। जिला कलेक्टर, बून्दी	